न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, IAS

प्रकरण संख्या: 18 / 2020

उनवान

(1) रमणलाल पिता मोगजी डामोर जाति भील निवासी टामटीया राठोड़ तहसील अरथूना।
(2) मगनलाल पिता गजेन्द्र प्रसाद डामोर जाति भील निवासी टामटीया राठोड़ तहसील अरथूना।
(3) महेन्द्र कुमार पिता गजेन्द्र प्रसाद डामोर जाति भील निवासी टामटीया राठोड़ तहसील अरथूना।
(4) प्रवीण कुमार पिता गजेन्द्र प्रसाद डामोर जाति भील निवासी टामटीया राठोड़ तहसील अरथूना।
(5) श्रीमती इन्दिरा पत्नि गजेन्द्र प्रसाद डामोर जाति भील निवासी टामटीया राठोड़ तहसील अरथूना।
(6) राजेन्द्र कुमार पिता मोगाजी डामोर जाति भील निवासी टामटीया राठोड़ तहसील अरथूना।

—: प्रार्थीगण

बनाम

(1) मन्नालाल पिता मोगांजी डामोर जाति भील निवासी टामटीया राठोड़ तहसील अरथूना।
(2) श्रवण पिता मोगाजी डामोर जाति भील निवासी टामटीया राठोड़ तहसील अरथूना।
(2) तहसीलदार, अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136— भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 18.9.2020

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण के स्वामीत्व एंव आधिपत्य की भूमि खाता संख्या 156 (नई) 147 (पुरानी) वाके गांव टामटिया राठोड़ पटवार हल्का टामटिया राठोड़ तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा में स्थित होकर कुल किता 8 रकबा 0.89 हे0 भूमि के प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में प्रार्थी संख्या 01 का नाम रमणलाल के स्थान पर मक्सी तथा प्रार्थी संख्या 2, 3, 4 के पिता व प्रार्थी संख्या 5 के पति का नाम गजेन्द्र प्रसाद के स्थान पर गजु तथा प्रार्थी संख्या 6 राजेन्द्र कुमार के स्थान पर काउड़ा दर्ज हो गया है। जिसे दुरस्त करवाने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम में पेश हुआ है।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के द्वारा प्रार्थीगण के कथन को स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटी को सही कराने का कथन किया गया। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार अरथूना द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी पटवार हल्का टामटिया राठोड़ के मौजा टामटिया राठोड़ की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 की खाता संख्या 156 (नई) 147 (पुरानी) में खातेदारन् मक्सी के स्थान पर रमणलाल व गजु के स्थान पर गजेन्द्रप्रसाद, काउड़ा के स्थान पर राजेन्द्र कुमार दर्ज किया जाने की अनुशंसा की गई। तत्पश्चात् प्रकरण में बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र एंव संलग्न जमाबन्दी संवत 2072 से 2075, रमणलाल के निर्वाचन पहचान पत्र की छाया प्रति, राजे[illegible] के आधार कार्ड की छाया प्रति, ग्राम पंचायत टामटिया राठोड़ द्वारा जा[illegible] [illegible] की छाया प्रति, गजेन्द्र प्रसाद के मृत्यु प्रमाण—पत्र की छाया प्रति, राजेन्द्र कुमार डामोर के [illegible] जारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका वर्ष—1983 की छाया प्रति, महेन्द्र कुमार के राशन का[illegible] / आधार कार्ड / माध्यमिक [illegible] बोर्ड की अंक तालिका वर्ष—2005 की छाया प्रति, गजेन्द्र प्रसाद के राशन कार्ड की छाया प्रति, प्रवीण मुकार डामोर के आधार कार्ड की छाया प्रति, इन्दिरा डामोर के आधार कार्ड की छाया प्रति,

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.01.29 12:42:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

मगनलाल डामोर के आधार कार्ड की छाया प्रति तथा अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने एंव प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस पर मनन् करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा है कि पटवार हल्का टामटिया राठोड़ के मौजा टामटिया राठोड़ की खाता संख्या 156 (नई) 147 (पुरानी) के कुल सर्वे नम्बर 8 रकबा 0.89 हें0 भूमि में वर्णित खातेदारान् के नाम में से मक्सी के स्थान पर रमणलाल, गजु के स्थान पर गजेन्द्रप्रसाद, काउड़ा के स्थान पर राजेन्द्र कुमार बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना को निर्णय की पालना करने निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.9.2020 को सुनाया गया।

21/9/20

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.01.29 12:42:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner